भा.कृ.अनु.प.—भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
ICAR-INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
क्षेत्रीय केन्द्र, पूसा (बिहार)—848125
REGIONAL STATION, PUSA, SAMASTIPUR, (BIHAR)-848125

पत्रांकः 2024—25/क्षे.के.पू./निविदा/17 दिनांकः 08.01.2025

अल्पकालीन— नीलामी सूचना
विषयः— भा.कृ.अनु.प.— भा. कृ.अ. सं., क्षेत्रीय केन्द्र पूसा (बिहार)

अध्यक्ष, भा.कृ.अनु.प.— भा0कृ0अ0सं0 क्षेत्रीय केन्द्र, पूसा (बिहार) भारतीय कृषि अनुसंधान, संस्थान, नई दिल्ली—110012 की तरफ से ग्रीष्मकालीन 2025 के लीची एवं आम फलों की नीलामी/निविदा पत्र आमंत्रित करते है। निविदा हेतु विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. सं०	नीलामी विवरण	आरक्षित मूल्य (रूपये)	अग्रधन राशि	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा खुलने की तिथि एवं समय
1	लीची फल हेतु— 290 पेड़ आम फल हेतु—46 पेड़	**335800/-**	32000/—	29 जनवरी 2025 शाम 5:30 बजे	30 जनवरी 2025 प्रातः 11 बजे
नोटः— सफल निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई अग्रधन राशि को सुरक्षा में परिवर्तित कर दिया जायेगा जो कि कार्य सफलतापूर्वक सम्पूर्ण होने पर वापस किया जायेगा। अन्य निविदाकर्ता की अग्रधन राशि को प्रक्रिया समाप्त होने पर वापस कर दिया जायेगा।					

उपरोक्त को नीलामी लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/निर्धारित निविदा प्रारूप सील बंद लिफाफे में अपना निविदा इस कार्यालय को जमा कर सकता है।

निविदा हेतु नियम एवं शर्तेः—

1. निविदा पत्र खरीदने के उपरान्त नीलामी हेतु उपरोक्त उत्पादों का निरीक्षण प्रातः 11:00 बजे से 4:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में प्रक्षेत्र प्रभारी से मिलकर किया जा सकता है।

2. निविदा पत्र इस कार्यालय से एक सौ रूपये मात्र नकद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है या इस केन्द्र के वेवसाइट www.iari.res.in से डाउनलोड के उपरान्त 100.00 रूपये के केनरा बैंक या एस.बी.आई. बैंक द्वारा निर्गत डिमांड ड्राफ्ट जो अध्यक्ष भा.कृ.अनु.प.— भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, पूसा (बिहार) को देय हो जो निविदा पत्र के साथ लगाना अनिवार्य होगा यह राशि किसी भी स्थिति में वापसी नहीं की जायेगी।

3. नीलामी में भाग लेने हेतु अग्रधन राशि रू0 32000/— (रूपये बतीस हजार मात्र) नगद या डिमान्ड ड्राफ्ट अध्यक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान, संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, पूसा (बिहार) के नाम से जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या केनरा बैंक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा (बिहार) शाखा में देय हो।

4. निविदाकर्ता निविदा का मूल्य का उल्लेख करेंगें एवं इसे संलग्न फार्म—1, जिसे बयाना राशि रसीद के साथ एवं नियम एवं शर्ते की प्रतिलिपि के साथ हस्ताक्षर करने के उपरान्त इस कार्यालय में जमा करेंगे। जिसका मतलब होगा कि उन्हें उल्लिखित नियम एवं शर्ते मान्य है। फार्म—1 की दूसरी प्रति निविदाकर्ता अपने पास रखेंगे।

5. सभी निविदा बन्द लिफाफा में जमा किया जायेगा जिसके उपर निविदा संख्या— लीची एवं आम फलों हेतु निविदा' लिखित होनी चाहिए। निविदा कार्यालय में उपलब्ध निविदा बॉक्स में अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती है। यह सुनिश्चित भेजने पर कोई क्षति/देर के लिए यह केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा। अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

6. निविदा खुलने के समय निविदाकर्ता स्वयं लिखित रूप में प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम कार्यालय परिसर में उपस्थित हो सकते है।

7. भुगतान की विधि–निविदा खुलने के उपरान्त सफल निविदाकर्ता को उनके द्वारा उद्धृत/वर्णित राशि 50 प्रतिशत भुगतान नकद निविदा खुलने के दिन करना होगा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान अगले कार्यदिवस में करना होगा।

8. संस्थान द्वारा निर्धारित आधार मूल्य से कम राशि प्राप्त होने के स्थिति में उसी समय समिति के समक्ष ही पुनः बन्द निविदा की प्रक्रिया भी की जा सकती है।

9. निविदा स्वीकार करने का अधिकार अध्यक्ष,भा.कृ.अनु.प.– भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, पूसा (बिहार) को उच्चतम शर्त के अनुरूप किसी भी निविदा को स्वीकृत करने/रदद् करने का पूर्णतया अधिकार होगा। पूरी निविदा, के किसी भी भाग को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

10. **मध्यस्तता**–किसी प्रकार के निविदा से संबंधित विवादों, मतभेदें के निराकरण हेतु भा. कृ. अनु. सं. क्षे. के. पूसा, समस्तीपुर (बिहार) को प्रेषित किया जा सकता है। भा.कृ.अनु.प.– भा. कृ. अनु. सं. क्षे. के. पूसा, समस्तीपुर (बिहार) का निर्णय किसी भी पक्ष के लिए अंतिम रूप से मान्य होगा।

11. **सुरक्षा व्यवस्थाः**– सफल निविदाकर्ता को एकरारनामा के तुरन्त बाद सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। चोरी, फलों की बर्बादी, इत्यादि प्राकृतिक विनाश अथवा किसी अप्रत्याशित कारण वश क्षति के लिए यह केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा।

12. प्रक्षेत्र प्रभारी की निगरानी में ठेकेदार को अपने श्रमिकों द्वारा लीची एवं आम फलों का तोराई कार्य प्रातः 10:00 से 04:30 बजे शाम तक कार्य दिवसों में के प्रक्षेत्र प्रभारी के निर्देशानुसार करना होगा।

13. इस केन्द्र द्वारा कार्य गुड़ाई, सिंचाई एवं जुताई आदि तथा कोई भी निर्माण किये जाने व अन्य कार्यो के कराये जाने पर ठेकेदार को कोई हस्तक्षेप/आपति का अधिकार नहीं होगा।

14. लीची एवं आम फलों की तोराई कार्य पौधों को क्षति पहुँचाए बिना करना होगा।

15. अगर पेड़ से गिर कर किसी के साथ किसी प्रकार की दूर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेवारी निविदाकार की होगी।

16. ठेकेदार अथवा उनके कर्मचारियों द्वारा संस्थान की सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाने पर इसकी क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इस अवस्था में फलों का तुराई का कार्य रोका जा सकता है एवं प्रक्षेत्र निशेध के उपरान्त उचित कार्यवाही की जायेगी।

17. ठेका अवधि नीलामी की 100 प्रतिशत राशि जमा करने के साथ ही प्रारम्भ होगी एवं लीची एवं आम फलों की तोराई समाप्त होते ही समाप्त होगी।

18. सभी विवादों के निपटारा का क्षेत्र समस्तीपुर में होगा।

19. किसी भी विषय से संबंधित सर्वाधिकार भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, पूसा समस्तीपुर (बिहार) को सुरक्षित होगा।

20. ठेकेदार लीची एवं आम फलों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा प्रहरी/व्यक्ति प्रक्षेत्र के अन्दर रख सकेगें जिसकी जानकारी केन्द्र को पहचान पत्रों के साथ पहले ही देनी होगी।

21. लीची एवं आम फलों के तोराई के समय में किसी भी प्रकार से आम एवं लीची फलों के पौधों के शाखाओं एवं टहनियों की क्षति नहीं होनी चाहिए। ऐसा पाये जाने पर ठेकदार के सुरक्षित राशि में अंशतः या पूर्णत जब्त कर लिया जायेगा ।

08/01/25

अध्यक्ष
भा० कृ० अ० सं० क्षे० के०, पूसा
समस्तीपुर (बिहार)

Head
भा.कृ.अ.सं., क्षेत्रीय केन्द्र
I A R I, Regional Station
पूसा (बिहार)-848125
Pusa (Bihar)-848125

प्रतिलिपिः नीलामी समिति के सभी सदस्य
सभी सूचना पट्ट

फार्म संख्या –1 (नीलामी दर पत्र)

1. निविदाकार का नामः
2. निविदाकार के पिता का नामः
3. पत्राचार का पताः
4. दूरभाष संख्याः
5. आधार सं.: .... पैन सं. ....
6. निविदा खुलने की तिथि एवं समय 30 जनवरी 2025 प्रातः 11 बजे ।

प्रक्षेत्र	पौधा का विवरण		निवेदक की नीलामी की राशि (अंको में)	निवेदक की नीलामी की राशि शब्दों में
भा.कृ.अ.सं., क्षेत्रीय केन्द्र, पूसा समस्तीपुर, (बिहार)	आम एवं लीची का फल	आम का पेड़–46 एवं लीची का पेड़–290 पेड़ फल तोड़ने हेतु		

नोटः– आरक्षित आधार मूल्य से अधिक नीलामी मूल्य होने पर ही नीलामी राशि पर विचार किया जाएगा।

निविदाकार का हस्ताक्षर :–

तिथिः–

नामः–

मोबाईल नं0